रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1971/कार्तिक 8, 1893

No. 176] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1971/KARTIKA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
8 MAR 1972
9/3/72
GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th October 1971

No. Drawback/PN-3.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Export Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in

the Public Notice No. *Drawback/PN*-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

2. For the existing entries against Sub-Serial No. 3827 the following entries shall be substituted.

Sub Serial No.	Description of Goods	Rate of Drawback
3827	(i) Aluminium utensils and other circular and oval shaped articles of 0·56 to 1·22 mm thickness (both inclusive).	Rs. 1·25 per kg.
	(ii) Aluminium articles made from flat sheets, strips, coils, circles of thickness below 0·56 or above 1·22 mm.	Rs. 1·75 per kg.
	(iii) Aluminium articles other than those specified in item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and articles mentioned at sub-items (i) and (ii) above, not otherwise specified.	Rs. 1·15 per kg.

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 1971

सं० डी० बी० के०/पी० एन० 3.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-वापसी नियम, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-डी० बी० के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० निर्यात-वापसी/पी० एन०-1 दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा तुरन्त निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. उप-क्रम संख्या 3827 के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी ।

उप-क्रम संख्या	माल का वर्णन	निर्यात वापसी की दर
3827	(i) एल्यूमीनियम के बर्तन और वृत्ताकार तथा अंडाकार आकार वाली अन्य वस्तुएं जिनकी मोटाई 0.56 से 1.22 मिलीमीटर हो (दोनों शामिल) ।	1.25 रु० प्रति किलोग्राम
	(ii) 0.56 मि० मी० से नीचे अथवा 1.22 मि०मी० से ऊपर की मोटाई की फ्लैट शीट, स्ट्रिप, कायल, सर्कल से बनी एल्यूमीनियम की वस्तुएं ।	1.75रु० प्रति किलोग्राम
	(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 27 में विनिर्दिष्ट एल्यूमीनियम की वस्तुओं से भिन्न वस्तुएं तथा ऊपर उपमद (i) तथा (ii) में उल्लिखित वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।	1.15 रु० प्रति किलोग्राम

एम० पंचप्पा,

निदेशक (निर्यात वापसी) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971